न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 15/19

प्रेमचन्द आत्मज श्री बालचन्द उम्र 30 साल जाति मेहर निवासी कादीहेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. रामदयाल
2. मेघराज पिसारान गोगडी लाल जाति मेहर निवासी कादीहेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
3. नन्द कुंवर पुत्री रामनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम ढाबा तहसील दीगोद जिला कोटा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कल्याण सिंह, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री निधि जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 11.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.12.2014 विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय की धारा 53 एवं 88 के अन्तर्गत ग्राम कादीहेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 86 की रकबा 1.54 हैक्टर के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि थी जिसमें मु0 नर्बदा पुत्री रामदयाल व नन्दकंवर पुत्री रामनारायण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी तथा उक्तानुसार अपने–अपने 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त थी । उक्त आराजी में से 1/2 हिस्सा दिनांक 11.01.1999 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा के वादीगण क्रम 1 व 2 रामदयाल तथा मेघराज पुत्र ओगढीलाल को बेचान कर दिया । तब से ही केतागण उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । प्रतिवादीगण वादीगण को उसके कब्जे काश्त में मदाखल व मजाहमत करते रहते हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजी में से 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से खातेदार दर्ज किया जावे तथा

प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.12.2014 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.12.2014 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने खाते की नकल बाबत् आराजी खसरा नम्बर 86 की 1.54 हैक्टर में से 1/2 हिस्सा क्रय हुआ था ओर जिसकी रजिस्ट्री अधीनस्थ न्यायालय में पेशशुदा थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना गौर किये दावा अपीलान्ट खारिज कर दिया जबकि साक्ष्य कानून के अनुसार रजिस्टर्ड डीड को बिना गवाह भी आदेश का आधार बनाया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिक्री की तारीफ में नहीं आता है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने वाद से सम्बन्धित बिन्दु डिसकश किये बिना ही उक्त आदेश पारित कर दिया जो निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय में एक और दावा विचाराधीन है जिसे उक्त वाद के साथ समेकित करते हुए निर्णित किया जाना चाहिए था । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.12.2014 निरस्त फरमाया जावे।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादी अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में क्लीन हैण्ड से वाद लेकर नहीं आया है और न ही उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.12.2014 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादी अपीलान्ट ने प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार द्वारा वादी को कब्जा संभलाने बाबत् उल्लेखित किया है । वादी अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी के क्रय की दिनांक से अभी तक अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज नहीं करवाया है और न ही उसके द्वारा कोई ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया है जिससे उसके कथनों की पुष्टि होती हो । इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट ने अपने कथनों को साबित नहीं किया है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.12.2014 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 11.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा